



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद/2018/पार्ट/1814 जयपुर दिनांक 13/9/19

—:आदेश :-

श्रीमती सविता टी., RRDS, हाल प्राचार्य ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर जिला जोधपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्यहित में तत्काल प्रभाव से विकास अधिकारी पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर में श्री टीकमाराम चौधरी के स्थान पर किया जाकर श्री चौधरी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दें।

उक्त अधिकारी अविलम्ब प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

13/9/19
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सहायक, संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशिक्षण), पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/अजमेर।
9. जिला कलक्टर, नागौर/जोधपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर/जोधपुर।
11. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर/जोधपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर।
13. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. आदेश पत्रावली।

13/9/19
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)